रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 1972/कार्तिक 25, 1894
No. 279] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 1972/KARTIKA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November 1972

G.S.R. 461(E). In exercise of the powers conferred by section 16 of the General Insurance (Emergency Provisions) Act, 1971 (17 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the General Insurance (Emergency Provisions) Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the General Insurance (Emergency Provisions) Third Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Insurance (Emergency Provisions) Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "1971", the figures "1972" shall be substituted.

3. For rule 3 of the said rules, the following rule shall besubstituted,namely:—

"3. *Compensation how to be dealt with.*—(1) The compensation payable under section 6 of the said Act, in respect of the vesting in the Central Government of the management of the undertaking of an insurer who is an Indian insurance company as defined in section 3 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972) (hereinafter referred to as the Nationalisation Act), up to the day appointed by the Central Government under clause (b) of section 3 of the Nationalisation Act (hereinafter referred to as the nationalisation day) shall be dealt with by the insurer in the following manner, namely:—

(a) Seventy per cent of every such payment of compensation, received by the insurer before the nationalisation day shall be held by him in a separate deposit with a Scheduled Bank, Nationalised Bank or any branch of the State Bank of India for a period expiring not earlier than the nationalisation day as security for the liability of the insurer in respect of income-tax and any other taxes or dues under any law for the time being in force which the insurer would be liable to pay on such compensation, and the remaining thirty per cent of such payment received by the insurer before the nationalisation day may, after meeting the expenses incurred in the discharge of the corporate functions of the insurer, be distributed in such manner as the shareholders may decide at a general meeting held before the nationalisation day.

(b) The insurer shall on the nationalisation day open in his books of account a separate account, to be called the "Former Shareholders' Fund" (hereinafter referred to as the Fund) and credit that Fund with the amount of seventy per cent of the compensation kept in deposit in accordance with clause (a), together with interest which has accrued up to the nationalisation day, and also credit that Fund with the balance, if any, left out of the amount of thirty per cent of the compensation received by the insurer before that day.

(c) The compensation which may be received by the insurer on or after the nationalisation day shall be credited to the Fund.

(d) The insurer shall invest the Fund separately and keep an account of the investments thereof, and credit the Fund with the income earned on the investments of the Fund from time to time.

(e) The insurer shall draw on the Fund for meeting the expenses incurred in connection with the Fund and for discharging the liability for income-tax and any other taxes or dues under any law for the time being in force in respect of the compensation received by the insurer from time to time and in respect of the other receipts of the Fund:

Provided that in case the shareholders decide at a general meeting held before the nationalisation day to appoint a committee, by whatever name called, consisting of shareholders or Directors for the time being, or both, to look after the rights and interests of the shareholders in relation to the compensation, and the committee at any time requests the insurer that he may represent against any tax which may be levied on the compensation or on the other receipts of the Fund, whether in the original assessment proceedings, or in any proceedings by way of appeal, revision or reference, the insurer shall make such representation provided there is sufficient amount available in the Fund for the purpose and the expenses incurred in respect of such representation shall be met out of the Fund.

(f) After the insurer has met out of the Fund all the expenses in connection with the Fund and has fully discharged the liability for income-tax and any other taxes or dues under any law for the time being in force in respect of the compensation received by him from time to time and in respect of the other receipts of the Fund the insurer shall distribute the balance if any of the Fund among the shareholders on the register immediately before the nationalisation day in the proportion of the amount paid up on the shares held by them, so, however, that the amount in respect of each share shall be in whole paise:

Provided that if the shareholders have at a general meeting held before the nationalisation day decided that the balance so distributed shall be in such multi-

ples of paise as are specified in the relevant resolution, and that the residue of the Fund after the distribution made in accordance with the resolution should be disposed of in the manner which the shareholders or the committee, if any, appointed by them for this purpose, may indicate to the insurer, the distribution shall be made by the insurer accordingly:

Provided further that the insurer may, from time to time, distribute out of the Fund among the shareholders, on the register immediately before the nationalisation day such amounts as, in his view, do not require to be reserved for meeting the liabilities and the expenses of the Fund.

(2) The compensation payable under section 6 of the said Act, in respect of the vesting in the Central Government of the management of the undertaking of an insurer, other than an Indian insurance company or a foreign insurer as defined in section 3 of the Nationalisation Act, up to the nationalisation day shall be dealt with in the same manner as the amount referred to in section 11 of the Nationalisation Act is dealt with in the case of such insurer."

4. The Schedule appended to the said rules shall be omitted.

[No. F.63(48)-Ins.I/71.]

A. RAJAGOPPALAN,
Officer on Special Duty and *Ex-officio* Addl.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 461 (अ).—विविध बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 (1971 का 17) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विविध बीमा (आपात उपबन्ध) नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम विविध बीमा (आपात उपबन्ध) तृतीय संशोधन नियम, 1972 होगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विविध बीमा (आपात उपबंध) नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है) में, नियम 1 के उपनियम (1) में, अंक "1971" के स्थान पर, अंक "1972" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"3 प्रतिकर से किस प्रकार बरता जाए.—

(1) किसी ऐसे बीमाकर्ता के उपक्रम के प्रबंध के केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन देय प्रतिकार, जो विविध बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) (जिसे इसमें इसके पश्चात् राष्ट्रीयकरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में यथा-परिभाषित एक भारतीय बीमा कंपनी है, राष्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किए गए दिन तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् राष्ट्रीयकरण दिवस कहा गया है), बीमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित रीति से बरता जाएगा, अर्थात् :—

(क) राष्ट्रीयकरण दिवस के पूर्व बीमाकर्ता द्वारा यथा प्रतिकर के प्रत्येक ऐसे संदाय का 70 प्रतिशत अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में उस अवधि तक जिसका अवसान राष्ट्रीयकरण दिवस से पूर्व नहीं होगा ऐसे आयकर और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किन्हीं अन्य करों या शोध्य राशियों की बाबत जिसे बीमाकर्ता ऐसे प्रतिकर के सम्बन्ध में देने का दायी होगा, बीमाकर्ता के दायित्व के लिए प्रतिभूति के रूप में उसके द्वारा अलग निक्षेप में रखा जाएगा और राष्ट्रीयकरण दिवस के पूर्व बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त ऐसे संदाय का शेष 30 प्रतिशत, निगम के नाते बीमाकर्ता के कृत्यों के निर्वहन में उपगत किए गए व्ययों को पूरा करने के पश्चात्, ऐसी रीति से वितरित किया जाएगा जैसी कि शेयर-धारकों द्वारा राष्ट्रीयकरण दिवस के पूर्व आयोजित साधारण अधिवेशन में विनिश्चित की जाए ।

(ख) बीमाकर्ता राष्ट्रीयकरण दिवस को अपनी लेखा बही में एक अलग खाता खोलेगा जिसका नाम "भूतपूर्व शेयरधारकों की निधि" (जिसे इसमें इसके पश्चात् निधि कहा गया है) होगा और उस निधि में खण्ड (क) के अनुसार निक्षेप में रखे गए प्रतिकर की 70 प्रतिशत रकम और वह ब्याज जमा करेगा जो राष्ट्रीयकरण दिन तक प्रोद्भूत हुई हो, और उस निधि में उस दिन के पूर्व बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त हुए प्रतिकर की 30 प्रतिशत रकम में से बचा अतिशेष, यदि कोई हो, भी जमा करेगा ।

(ग) ऐसा प्रतिकर, जो राष्ट्रीयकरण दिवस को या उसके पश्चात् बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाए, निधि में जमा किया जाएगा ।

(घ) बीमाकर्ता निधि को अलग-अलग विनिहित करेगा और उसके विनिधानों का लेखा रखेगा, और निधि में, निधि के विनिधानों से समय-समय पर उपार्जित आय जमा करेगा ।

(छ) बीमाकर्ता निधि में से, निधि के संबंध में उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए और समय-समय पर बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त हुए प्रतिकर की बाबत और निधि की अन्य प्राप्तियों की बाबत आयकर और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किन्हीं अन्य करों और शोध्य राशियों से संबंधित दायित्व के निर्वहन के लिए रकम निकालेगा :

परन्तु यदि शेयरधारक राष्ट्रीयकरण दिवस के पूर्व आयोजित किसी साधारण अधिवेशन में, प्रतिकर के संबंध में शेयरधारकों के अधिकारों और हितों की देखभाल करने के लिए कोई समिति, जिसका कोई भी नाम हो, जिसमें तत्समय शेयरधारक या निदेशक, या दोनों होंगे, नियुक्त करने का विनिश्चय करते हैं, और समिति किसी समय बीमाकर्ता से निवेदन करती है कि वह किसी ऐसे कर के विरुद्ध अभ्यावेदन करे जो प्रतिकर पर या निधि की अन्य प्राप्तियों पर, चाहे प्रारम्भिक निर्धारण कार्यवाहियों में, या अपील, पुनरीक्षण या निर्देश के रूप में किन्हीं कार्यवाहियों में, उद्गृहीत किया जाए तो बीमाकर्ता ऐसा अभ्यावेदन करेगा परन्तु यह तब जब कि निधि में इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रकम उपलब्ध हो और ऐसे अभ्यावेदन की बाबत उपगत व्यय निधि में से पूरे किए जाएंगे ।

(च) बीमाकर्ता द्वारा निधि में से निधि के संबंध में सभी व्यय पूरे कर लेने और समय-समय पर उसके द्वारा प्राप्त प्रतिकर की बाबत और निधि की अन्य प्राप्तियों की बाबत आयकर और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किन्हीं अन्य करों या शोध्य राशियों से संबंधित दायित्व का पूर्णतः निर्वहन कर देने के पश्चात्, बीमाकर्ता निधि के अतिशेष, यदि कोई हो, को राष्ट्रीयकरण दिवस के ठीक पूर्व रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों में उनके द्वारा धारित शेयरों की समादत्त रकम के अनुपात में वितरित करेगा ताकि प्रत्येक शेयर की बाबत रकम पूरे पैसे में हो ।

परन्तु यदि शेयरधारक राष्ट्रीयकरण दिवस के पूर्व आयोजित किसी साधारण अधिवेशन में यह विनिश्चय करते हैं कि इस प्रकार वितरित अतिशेष पैसे के ऐसे गुणकों में होगा जैसे कि तत्संबंधी संकल्प में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और संकल्प के अनुसार किए गए वितरण के पश्चात् निधि के बकाया का व्ययन ऐसी रीति से किया जाना चाहिए, जो शेयरधारकों या इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा नियुक्त समिति, यदि कोई हो, द्वारा बीमाकर्ता को उपदर्शित की जाए तो बीमाकर्ता द्वारा तदनुसार वितरण किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता राष्ट्रीयकरण दिवस के ठीक पूर्व रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों में, निधि में से ऐसी रकम समय-समय पर वितरित कर सकेगा, जो उसके विचार में निधि के दायित्वों और व्ययों को पूरा करने के लिए आरक्षित रखने के लिए अपेक्षित नहीं है ।

(2) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी भारतीय बीमा कंपनी या विदेशी बीमाकर्ता से भिन्न, किसी बीमाकर्ता के उपक्रम के प्रबंध के केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन देय प्रतिकर, राष्ट्रीयकरण दिवस तक उसी रीति से बरता जाएगा जिस प्रकार राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट रकम ऐसे बीमाकर्ता की दशा में बरती जाती है" ।

4. उक्त यमों से संलग्न अनुसूची लुप्त कर दी जाएगी ।

[सं० फा० 63(48)—बीमा I/71]

अ० राजगोपालन,
विशेष कार्य अधिकारी और पदेन अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972